दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/वेल्फेयर/ 01/4651 दिनांक:-09.05.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-135/2018

विषय:-Ayurvedic/Homeopathic dispensaries under Staff Benefit Fund (SBF).

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(W)2016/ISM/9 दिनांक 01.05.2018, RBE No. 62/2018 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1.	Letter dated 07.07.2017	112/2017

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 पृष्ठ)

(प्रदीप मिश्रा)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

1330
08/08/18

Raling

(36) E/R No.- 135/2018

RBE No. 62/2018 P/1

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड

SECRly

01/05/2018

No. E(W)2016/ISM/9 New Delhi, dated 01-05-2018

CPO (IR)		
Dy. CPO (HQ.)	Dy. CPO (CON.)	
SPO (RP)	SPO (GAZ.)	SPO (HRD)
APO (BILLS)	APO (MISC.)	PS to CPO
PCPO		

The General Managers(P),
All Indian Railways &
Production Units.

Rly Circulate

Sub: Ayurvedic/Homeopathic dispensaries under Staff Benefit Fund (SBF)
Ref: This Ministry's letter of even number dated 07.07.2017. 112/17

Please refer to Railway Board's letter of even number dated 07.07.2017 enhancing the monthly honorarium for Ayurvedic/Homeopathic Consultants and monthly subsidy on medicines on the Ayurvedic/Homeopathic dispensaries being run by the Staff Benefit Fund Committees.

2. In continuation of these instructions, sanction of the Ministry of Railways is hereby communicated for revision of monthly honorarium for Ayurvedic/Homeopathic dispensers as per following:-

8 hours duration	Rs. 11,250/-
4 hours duration	Rs.7,500/-

3. Annual allotment for "Indigenous System of Medicine" under SBF (under which Homeopathic and Ayurvedic dispensaries function) at Rs.36 per capita, if found inadequate to meet the increase in requirement of funds on account of the above revision in the honorarium, the additional expenditure (necessitated due to revision) under these orders would also be met through re-appropriation from the head "Medical Services" as additional ad hoc contribution to the SBF, and, accordingly, the Medical Budget would be suitably augmented from Revenues. Hence PCPOs would advise CMDs about the additional funds required on this account so that the same could be reflected in the budgetary estimates.

4. The aforesaid revision will take effect from 07.07.2017.

This issues in consultation with the Health Directorate and with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railway.

(ALOK KUMAR) 25/4/18
Executive Director Estt. (IR)
Railway Board.

CH-SBF/Ruling & CH-03/med

08/5

13/5/18
8/2

आरबीई सं. 62 /2018

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

01/05/2018

सं.ई(डब्ल्यू) 2016/आईएसएम/9 नई दिल्ली, दिनांक: 01 .05.2018

महाप्रबंधक (पी)
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

विषय: कर्मचारी हित निधि (एसबीएफ) के अंतर्गत आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक औषधालय।

संदर्भ: इस मंत्रालय का दिनांक 07.07.2017 का समसंख्यक पत्र।

कृपया रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.07.2017 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जो कर्मचारी हित निधि समितियों द्वारा चलाए जा रहे आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक औषधालयों में आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक परामर्शदाताओं के लिए मासिक मानदेय और दवाइयों पर मासिक सब्सिडी बढ़ाने के बारे में है।

2. इन अनुदेशों के क्रम में, आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक औषधालयों के लिए मासिक मानदेय को निम्नानुसार संशोधित करने के लिए एतदद्वारा रेल मंत्रालय की स्वीकृति संसूचित की जाती है:-

8 घंटे अवधि 11,250/- रुपए

4 घंटे अवधि 7,500/- रुपए

3. कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत 'स्वदेशी औषधि प्रणाली' (जिसके तहत होम्योपेथिक और आयुर्वेदिक औषधालय कार्य करते हैं) के लिए 36 रुपए प्रति व्यक्ति के वार्षिक आबंटन, यदि मानदेय में उक्त संशोधन होने के कारण निधि की आवश्यकता में बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए अपर्याप्त पाया गया है, को इन आदेशों के तहत अतिरिक्त व्यय (जो संशोधन के कारण आवश्यक है) को भी 'चिकित्सा सेवाएं' शीर्ष से पुनर्विनियोग के जरिए पूरा किया जाना है क्योंकि कर्मचारी हित निधि के लिए अतिरिक्त तदर्थ योगदान और तदनुसार चिकित्सा बजट को राजस्व से यथोचित ढंग से बढ़ाया जाएगा। अतः, पीसीपीओ इसके परिणामस्वरूप अपेक्षित अतिरिक्त निधि के बारे में सीएमडी को सूचित करेंगे ताकि इस राशि को बजटीय अनुमानों में दिखाया जा सके।

4. उक्त संशोधन 07.07.2017 से प्रभावी होंगे।

5. इसे रेल मंत्रालय के स्वास्थ्य निदेशालय के परामर्श से और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

2/5/18

(आलोक कुमार)
कार्यपालक निदेशक स्थापना (औ.सं.)
रेलवे बोर्ड